छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 582 / 2006</u>

श्री श्रीनिवास पाल,
जनपद सदस्य,
जनपद पंचायत, वि.खं. कोयलीबेड़ा,
ग्राम क्षेत्र–बांदे, सावेर, पोस्ट–बांदेकालोनी,
जिला–कांकेर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी,
कोयलीबेड़ा,
उत्तर बस्तर, कांकेर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 01 मार्च 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री श्रीनिवास पाल ने दिनांक 28–02–2006 को जन सूचना अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, कोयलीबेड़ा, उत्तरबस्तर, कांकेर को उपस्थिति पंजी से संबंधित रिकार्ड की जानकारी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा दिनांक 25–07–2006 को उत्तर आवेदक को दिया गया और छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। दिनांक 04–11–2006 को एक उत्तर और दिया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा भ्रमित करने वाला बता रहा है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभयपक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी, कोयलीबेड़ा, उत्तरबस्तर, कांकेर ने एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न स्तरों से जानकारी बुलवाई जाकर अंत में यही निष्कर्ष निकाला है कि उपस्थिति पंजी अपीलार्थी द्वारा ही प्रभार में नहीं सौंपी गई थी और इसी कारण उसकी छायाप्रति दिया जाना संभव नहीं है और उनके द्वारा बाद में उन्हें पत्र लिखकर उनसे इसकी मांग भी की गई है। अतः उपरोक्त स्थिति में विचारोपरांत खण्ड विकास अधिकारी की त्रुटि नहीं पाई जाती है। अतः शास्ति आरोपित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। खण्ड विकास अधिकारी ने विलम्ब के भी पर्याप्त संतोषप्रद कारण बताये हैं। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा भी प्रकरण में सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखकर इस शिकायत को निरस्त किया गया है। उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील इस निर्देश के साथ निरस्त की जाती है कि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कांकेर इस संबंध में आगे जो भी जाँच

आवश्यक है वे करें और इसमें जिसकी भी त्रुटि पाई जाती है, उसके विरूद्ध आावश्यक विभागीय कार्यवाही करे और प्रभार के संबंध में जांच पूर्ण होने के बाद जब उपस्थिति पंजी जहां से भी उपलब्ध हो जाये, तब उसकी प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त